

पंचम-अध्याय

शोध सार,
निष्कर्ष एवं

सुझाव

अध्याय-पंचम

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना -

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत ने 26 जनवरी 1950को अपना संविधान लागू किया संविधान में भारतीय नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। समय-समय पर संविधान में संशोधन होते रहे है।

जब संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो स्पष्ट है कि हमें कोई सा भी धर्म अपनाने उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। किन्तु इसके साथ ही हमारा कर्तव्य भी हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न करें।

भारतीय संविधान में वर्णित दस कर्तव्यों तथा शिक्षा में निकट संबंध है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों तथा उनसे संबंधित कर्तव्यों का ज्ञान कर सकता है।

अधिकारों के साथ सदैव एवं अनिवार्य रूप से कर्तव्य जुड़े रहते है इसलिए कहा जाता है कि जब हमें कही से भी किसी भी प्रकार का अधिकार मिल जाता है, तो उसके साथ ही हमें कुछ कर्तव्य भी बिना दिए ही प्राप्त हो जाते है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में एक उदाहरण से इसे स्पष्ट है हमें कोई-सा भी धर्म अपनाने उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। परन्तु इसके साथ ही हमारा कर्तव्य भी हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न करें। हम शोषित न होने का अधिकार है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी शोषण न करें। अधिकारों की स्वस्थ रक्षा के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन भी अनिवार्य है।

स्वतंत्र भारत में जब सर्वप्रथम संविधान बना और लागू किया गया तो उसमें केवल मौलिक अधिकार की ही बात कही गयी थी इसमें मौलिक अधिकार का सही प्रयोग करने में असुविधा हो रही थी। इसलिए 1976 ई. में संविधान में 42 वां संशोधन कर 51-अ अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया।

इन कर्तव्यों में नागरिकों से अपेक्षा की गयी है, कि वे संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करें, हिंसा से दूर रहें और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझें तथा उसकी रक्षा करें, प्राकृतिक वातावरण को दूषित होने से बचायें।

5.2 समस्या कथन -

“कक्षा 11 वी के विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता का अध्ययन।”

5.3 शोध का उद्देश्य -

1. मौलिक कर्तव्यों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता का अध्ययन करना।
2. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. मौलिक कर्तव्यों के प्रति छात्र/छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

5.4 शोध की परिसीमाएँ -

यह अध्ययन गुना जिले (मध्यप्रदेश) के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय एवं अशासकीय बाल शिक्षा निकेतन स्कूल, मोती चिल्ड्रन हायर सेकेण्डरी स्कूल, तक सीमित है।

इस शोध कार्य में कक्षा-11 वी के विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

5.5 शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया -

सर्वप्रथम शोधार्थी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में स्वयं जाकर प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रधान से मिली और अपना परिचय दिया उन्हें आने का उद्देश्य बताकर लघु शोध प्रबंध विषय की जानकारी दी एवं शोधार्थी ने प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 11वी के विद्यार्थियों को प्रश्नावली दी गई और उन्हें बताया गया कि प्रस्तुत अध्ययन मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के बारे में है। उन्हें यह भी बताया गया कि प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुसंधान कार्य में ही किया जायेगा

तथा इसे गोपनीय रखा जायेगा। शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली भरने से पहले विद्यार्थियों को निम्न निर्देश दिये गये।

शोध उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए 10 दिन का समय निश्चित किया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा 11 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान मैदानी कार्य फिल्ड वर्क किया गया अनुसंधानकर्ता ने प्रपत्रों की पूति स्वयं सब विद्यालय में जाकर दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ मौखिक चर्चा करने के बाद अनुमति प्राप्त की एवं कक्षा-11 वीं के विद्यालयों को प्रश्नावली से अवगत कराया गया आवश्यक निर्देश दिए गए।

कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

1. यद्यपि समय सीमा नहीं है फिर भी आप शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयत्न करें।
2. कृपया प्रश्नानुसार उत्तर दीजिए हाँ एवं नहीं विकल्प के लिए (√) का प्रयोग कीजिए एवं बिना विकल्प वाले प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

5.6 शोध संरचना -

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है।

5.7 न्यादर्श का चयन -

किसी भी अनुसंधान में प्रतिदर्श का चुनाव एवं उसकी संख्या महत्वपूर्ण पहलू होता है। शोधार्थी के लिए यह आवश्यक होता है कि आँकड़ों कहा से कैसे प्राप्त किए जाये। इसके लिए पहले न्यादर्श का चयन करना आवश्यक होता है किसी भी अनुसंधानकर्ता को अपने शोधरूपी भवन को बनाने के लिए न्यादर्श रूपी आधारशिला की आवश्यकता होती है। यह आधार शिला जितनी मजबूत होगी शोध कार्य उतना ही सुदृढ़ होगा।

“प्रतिदर्श जनसंख्या या लोक में से लिया गया कोई भाग होता है जो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है।

करलिंगर के.आर. के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने न्यादर्श चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि से किया है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के गुना जिले के दो शासकीय विद्यालय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई

कन्या विद्यालय, मोती चिल्ड्रन हायर सेकेण्डरी स्कूल बाल शिक्षा निकेतन स्कूल के कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया मौलिक कर्तव्यों पर बनी प्रश्नावली विद्यार्थियों को भरने के लिए दी गयी।

5.8 शोध उपकरण -

प्रश्नावली का निर्माण शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को शोधकर्ता द्वारा प्रारंभ में तैयार किया गया। कुल 13 प्रश्नावली को विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप देकर कक्षा 11वीं के 20 विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) को दी गई एवं यह जानने का प्रयत्न किया गया कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जा रहे हैं। 20 विद्यार्थियों के द्वारा दिये गये उत्तरों में यह पाया गया कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर ही विद्यार्थियों द्वारा दिये गये। अतः अंतिम प्रश्नावली में केवल 4 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है जो परिशिष्ट-1 में दर्शाए गये हैं।

5.9 परिणाम -

1. मौलिक कर्तव्यों के प्रति अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में जागरूकता ज्यादा पायी गयी।
2. मौलिक कर्तव्यों के प्रति छात्रों में ज्यादा पायी गयी छात्राओं की अपेक्षा छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अधिक पायी गयी।

5.10 सुझाव -

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता का अध्ययन।
2. शिक्षकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों में जागरूकता के बीच संबंधों का अध्ययन।
3. शहरी और ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की जागरूकता का अध्ययन।

निष्कर्ष:-

शोधकार्य में मुख्य रूप से यह पाया गया है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति अधिक रूप में जानकारी नहीं है। कम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के महत्व को बताया है। कम विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों की समझ और जागरूकता है।